राँची समाहरणालय, राँची

(मनरेगा कोषांग)

ज्ञापांक 1421/जि.ग्रा. दिनांक 19/07/2014

ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, सरकार के संकल्प ज्ञापांक 4729 दिनांक 04/06/2007 एवं नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली 2012 के संकल्प संख्या ज्ञापांक 6440 दिनांक 17/07/2012 से निर्गत एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची के अधीन महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु **तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक** के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर राँची जिला के विभिन्न प्रखण्डों में नियुक्ति की जानी है।

रिक्त पदों की संख्या निम्नवत हैः

1. तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समतुल्य) : 24 (चौबीस)
2. लेखा सहायक : 06 (छः)
3. कम्प्यूटर सहायक : 08 (आठ)
4. ग्राम रोजगार सेवक : 38 (अड़तीस)

(रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है)

तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के पद हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने के लिए आवश्यक योग्यताधारी/अहर्ताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची के वेव–साईट **http://www.drdaranchi.com** पर ऑन–लाईन भरा जाएगा। तत्पश्चात् भरे गए आवेदन की हॉर्ड–कॉपी, फोटोग्राफ, आरक्षण कोटि से संबंद्ध रहने पर जाति प्रमाण–पत्र (अनुमण्डल या उससे उच्च स्तर पदाधिकारी द्वारा निर्गत) तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति के साथ दिनांक 30/07/2014 तक निम्न पते पर निबंधित डाक के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगेः

उप–विकास आयुक्त, राँची,
विकास भवन, कचहरी रोड, राँची – 834001

(नोटः अभ्यर्थी आवेदित पद का नाम तथा ऑनलाईन जनित कोड लिफाफे पर निश्चित रूप से अंकित करेंगे।)

शैक्षणिक योग्यताः

तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	**अनिवार्य योग्यताः**	सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा/बी.टेक/बी.ई.
	अतिरिक्त योग्यताः	सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.सी.ए./बी.एस.सी. कम्प्यूटर ऑनर्स, एम.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस

लेखा सहायक	**अनिवार्य योग्यताः** **अतिरिक्त योग्यताः**	सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.कॉम. ऑनर्स या बी.कॉम सामान्य न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.सी.ए./बी.एस.सी. कम्प्यूटर ऑनर्स, एम.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस/एम.कॉम
कम्प्यूटर सहायक	**अनिवार्य योग्यताः** **अतिरिक्त योग्यताः**	सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एस.सी. कम्प्यूटर ऑनर्स या बी.एस.सी. कम्प्यूटर सामान्य या बी.सी.ए. या सामान्य स्नातक उत्तीर्णता के पश्चात् पी.जी.डी.सी.ए. उत्तीर्ण सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस/ पी.जी.डी.सी.ए.
ग्राम रोजगार सेवक	**अनिवार्य योग्यताः** **अतिरिक्त योग्यताः**	सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नात्कोत्तर

आयु सीमाः दिनांक 01/07/2014 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतमः

(क) अनारक्षित वर्ग 35 वर्ष
(ख) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष
(ग) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) 38 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरूष) 40 वर्ष

राष्ट्रीयताः आवेदक भारत का नागरिक हो।

आरक्षणः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

नियुक्ति के नियम तथा शर्तेः

1. इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।
2. प्रारम्भिक चरण में यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

3. *संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11(ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।*

4. *यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नुियक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्त पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यता नहीं है तो उसे एक माह के लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकते हैं।*

<u>नियुक्ति संबंधित सम्भावित कार्यक्रमः</u>

ऑनलाईन फार्म भरने की अंतिम तिथि	28/07/2014
फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	30/07/2014 05:00 PM
अन्तर्विक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों का वेव साईट पर प्रकाशन एवं अन्तर्विक्षा की संभावित तिथि की घोषणा	04/08/2014

ह॰/–
उपायुक्त –सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक राँची